राजस्थान सरकार

श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान

द्वारा

राजस्थान विधान सभा के समक्ष
वर्ष 2004-2005 के
बजट के सम्बन्ध में प्रस्तुत वक्तव्य

4 फरवरी, 2004

माननीय अध्यक्ष महोदया,

मैं वर्ष 2004–05 के लिए राजस्थान राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण तथा वर्ष 2003–04 के संशोधित अनुमान सभा पटल पर रख रही हूँ।

2. बजट अनुमानों के अन्तर्गत, वर्ष 2003–04 के लिए 3 हजार 672 करोड़ 79 लाख रुपये का राजस्व घाटा तथा 825 करोड़ 77 लाख रुपये का समग्र बजट घाटा अनुमानित किया गया था। संशोधित अनुमानों के अनुसार राजस्व खाते में 3 हजार 667 करोड़ 48 लाख रुपये का घाटा अनुमानित है तथा समग्र घाटा 282 करोड़ 37 लाख रुपये का अनुमानित किया गया है।

सत्यमेव जयते

3. जैसा कि आपको विदित है पूर्व सरकार द्वारा इस वर्ष की योजना का आकार 4 हजार 258 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था जिसे हमारी सरकार ने योजना आयोग से विचार विमर्श के पश्चात बढ़ाकर 5 हजार 504 करोड़ 52 लाख रुपये निर्धारित किया है। राज्य की विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए तथा हमारी सरकार की 'सौ दिवस' की कार्य योजना के वित्त पोषण हेतु योजना का आकार और बढ़ाकर 6 हजार 398 करोड़ 23 लाख रुपये रखा गया है। इस बढ़े हुए योजना आकार के बावजूद समग्र घाटा 282 करोड़ 37 लाख रुपये अनुमानित है जो कि बजट अनुमानों में दर्शाये गये घाटे की तुलना में बहुत कम है।

4. वर्ष 2004–05 के बजट अनुमानों में 36 हजार 102 करोड़ 63 लाख रुपये का कुल व्यय अनुमानित किया गया है। इन बजट अनुमानों में राजस्व व्यय

19 हजार 543 करोड़ 19 लाख रुपये एवं राजस्व प्राप्तियां 16 हजार 440 करोड़ 17 लाख रुपये अनुमानित की गई हैं तथा राजस्व खाते में 3 हजार 103 करोड़ 2 लाख रुपये का घाटा रहने का अनुमान है। वर्ष 2004–05 में समग्र बजट घाटा 1 हजार 394 करोड़ 48 लाख रुपये रहने की सम्भावना है।

5. पूर्व में आगामी वर्ष की योजना का आकार 5 हजार 293 करोड़ 55 लाख रुपये अनुमानित किया गया था। राज्य के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को देखते हुए हमने आगामी वर्ष की योजना का आकार बढ़ाकर 6 हजार 492 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रस्तावित किया है। अगले वर्ष की योजना के आकार के संबंध में अभी योजना आयोग से विचार विमर्श किया जाना शेष है। हमारी प्राथमिकताओं और जन आंकाक्षाओं के अनुकूल योजना आयोग से विमर्श होने के उपरान्त वर्ष 2004–05 के परिवर्तित बजट अनुमानों में योजना व्यय को अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है।

6. केन्द्र सरकार द्वारा आगामी वर्ष के लिए दिनांक 3 फरवरी, 2004 को लोकसभा में लेखानुदान की मांग प्रस्तुत की गई है। इस कारण केन्द्र सरकार से आगामी वर्ष में राज्य को मिलने वाले करों के भाग व अन्य अनुदान राशियों की विगत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः इन प्राप्तियों का आकलन राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर ही किया गया है। इसी प्रकार केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को अगले वर्ष मिलने वाली राशियों की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तथा योजना आयोग द्वारा केन्द्रीय सहायता, बाजार ऋण आदि की राशि भी निर्धारित नहीं की गई है। अतः इन मदों में राज्य स्तर पर ही अनुमान तैयार किये गये हैं। इन मदों में वास्तविक प्राप्तियां बजट 2004–2005 में प्रावधित राशियों से कहीं अधिक होने का अनुमान है जिससे वर्ष 2004–2005 के समग्र घाटे में कमी हो सकेगी।

7. वर्ष 2004–05 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है और अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदानों की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं। साथ ही हम वित्तीय वर्ष 2004–05 के पहले चार महीनों के लिए, यथा 31 जुलाई, 2004 तक व्यय हेतु लेखानुदान का प्रस्ताव कर रहे हैं। इस लेखानुदान में मांग संख्या 7–निर्वाचन, मांग संख्या 27–पेयजल तथा मांग संख्या 34–प्राकृतिक आपदाओं से राहत के लिऐ पूरे वर्ष के लिए अपेक्षित राशि की मांग की गई है क्योंकि इन मदों में होने वाले व्यय सामयिक हैं और इन्हीं महीनों में अधिक व्यय होने की संभावना है तथा इस व्यय को स्थगित नहीं किया जा सकता है। लेखानुदान की अवधि यथा 31 जुलाई, 2004 के पूर्व ही सदन के समक्ष परिवर्तित बजट अनुमान व प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिऐ जाऐंगे।

सत्यमेव जयते